

परेवी
25/11/2021

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

वादी	ब	प्रतिवादी
बापूराज पुत्र लालचरण मार परेवी	ना म	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी

राजस्व वाद-पत्र = वाद रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act 1955 एवं 136 R.L.Act
शुद्धि वाबत

पत्र नम्बर 228 /2021

GCMS No. 2021/957

हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो
इस हुक्म की
तारीख में जारी
हुए

25/11/2021

वादी श्री बापूराज पुत्र लालचरण
जाति मार निवासी परेवी द्वारा आज "प्रशासन
गांवों के संग अभियान 2021 " कैम्प ग्राम पंचायत परेवी
में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर जमाबन्दी सम्वत 2073-2074.....
ग्राम परेवी पटवार मण्डल परेवी के खाता
नम्बर 243 में वादी की राजस्व रेकर्ड में प्रविष्टि

बापूराज पुत्र गोविन्दराज

दर्ज है, जो अशुद्ध है।

वादी का शुद्ध नाम बापूराज पुत्र लालचरण

है, तथा इसी अनुसार
राजस्व रेकर्ड में शुद्ध प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है।
जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा परिवार राशन कार्ड न.

आधार नम्बर 5930 4283 8528

मतदाता पहचान पत्र 10064239 अन्य दस्तावेज -
की छाया प्रति प्रस्तुत की है।

इस संबंध में हल्का पटवारी परेवी भू.अ.नि. निवासी
एवं तहसीलदार कुचामनसिटी/नायब तहसीलदार चितावा से रिपोर्ट
तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होंने वादी का उपरोक्तानुसार नाम एवं
प्रविष्टि शुद्ध किये जाने की अनुशंसा की है।

अतः वादी का वाद-पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार
राजस्व रेकर्ड में शुद्ध प्रविष्टि किये जाने के आदेश प्रदान किये
जाते हैं। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।
पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर
हो।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)
25/11/2021

551-953